मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 15128/22/वि–9/आरजीएम/96 भोपाल, दिनांक 03.09.1996

आदेश क्रमांक – 8

प्रति,

1. अध्यक्ष (समस्त)
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर (समस्त)
   मध्यप्रदेश
3. कार्यपालन निदेशक, (समस्त)
   जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत (जिलों से संबंधित, समस्त)
5. परियोजना अधिकारी,
   मिली जलग्रहण क्षेत्र (समस्त)

विषय : राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में कार्यों के सम्पादन हेतु दिशा निर्देश।

जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्व में आदेश क्रमांक–2 दिनांक 25.7.95, आदेश क्रमांक–4, दिनांक 8.11.95, आदेश क्रमांक–5 दिनांक 1.12.95, आदेश क्रमांक–6 दिनांक 4.3.96 एवं आदेश क्रमांक–7 दिनांक 16.5.96 को जारी किये गये हैं। उन आदेशों के तारतम्य में जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर यह अगला आदेश है। कृपया इस परिपत्र को कार्यालय कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, परियोजना अधिकारी, मिली वाटरशेड एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में व्यापक रूप से प्रसारित करें तथा इसकी एक प्रति सभी कार्यालयों की गार्ड नस्ती में रखें।

राजीव गांधी वाटरशेड मिशन द्वारा डी.पी.ए.पी., ई.ए.एस. एवं आई.डब्ल्यू.डी.पी. योजनाओं के अंतर्गत वाटरशेड उपचार कार्य सम्पादित कराये जाते हैं। इन कार्यों/गतिविधियों को गति देने हेतु योजनावार तत्काल विस्तृत समीक्षा की जावे तथा भविष्य के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम तय किये जावें। समीक्षा बैठक तत्काल करने तथा भविष्य के लिये कार्यक्रम तय करने की दृष्टि से निम्न निर्देश जारी किये जा रहे है :–

1. कार्यों/गतिविधियों की समीक्षा :–

चरणबद्ध कार्यक्रम तय करने से पहले यह आवश्यक है कि जिले में चल रही वाटरशेड गतिविधियों तथा उसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर ली जावे। अलग–अलग जिलों में समीक्षा परिणाम अलग–अलग हो सकते हैं, किन्तु समीक्षा उपरांत जो कार्य आने वाले महीनों में किये जाने हैं, तथा उसके लिये वित्तीय प्रबंधन कैसा हो, यह समस्त जिलों में सूचीबद्ध किया जाना अत्यंत आवश्यक है। समीक्षा निम्न बिन्दुओं पर की जा सकती है :–

1.1 संगठनात्मक ढांचा :–

1.1.1 रोजगार आश्वासन योजना एवं डी.पी.ए.पी. योजना के अंतर्गत आने वाले

विकासखण्डों के लिये कम से कम एक एक मिली वाटरशेड का चयन।

1.1.2 मिली वाटरशेड वार परियोजना क्रियान्वयन दलों का गठन तथा उनकी गतिविधियां एवं सक्रियता।

1.1.3 परियोजना समन्वयकों, सहायकों की मिली वाटरशेडवार संविदा नियुक्तियां/पदस्थापना।

1.1.4 पी.आई.ए. स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण/दिशा निर्देश प्रदान करना।

1.1.5 उपयोगकर्ता दलों, स्वाबलम्बी दलों एवं महिला बचत समूहों का गठन।

1.1.6 वाटरशेड समितियों का गठन। ये समितियां नामांकन से हरगिज गठित नहीं होंगी। इनका गठन 1.1.5 के दलों के प्रतिनिधियों द्वारा होगा तथा उसे ग्राम सभा से अनुमोदित कराया जावेगा। जहां यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है वहां मार्गदर्शिका में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कमेटी गठित की जावे।

1.1.7 वाटरशेड समितियों का डी.आर.डी.ए. में पजींयन।

1.1.8 डी.आर.डी.ए. स्तर पर वाटरशेड कार्य हेतु पृथक बैंक खातों को खोला जाना।

1.1.9 ग्राम स्तर पर विकास एवं परियोजना खातों का खोला जाना।

1.1.10 माइक्रोवाटरशेड योजनायें।

1.1.11 जिला स्तर पर कार्य योजना स्वीकृति हेतु वाटरशेड समिति का प्रस्ताव एवं ग्राम सभा का अनुमोदन।

1.1.12 मिली वाटरशेड योजनाओं की डी.आर.डी.ए. द्वारा स्वीकृति।

1.1.13 विभिन्न स्तरों पर रखे जाने वाले रजिस्टरों एवं अभिलेखों का संधारण।

1.1.14 वाटरशेड समिति के सदस्यों एवं सचिवों का प्रशिक्षण।

1.1.15 स्वावलंबन दलों का प्रशिक्षण।

1.1.16 जिला स्तरीय वाटरशेड तकनीकी समिति का योगदान।

1.2 भौतिक प्रगति :–

1.2.1 मिली वाटरशेडवार में क्षेत्रफल का वित्तीय प्रबंधनों के अनुरूप निर्धारण।

1.2.2 माइक्रोवाटरशेड/ग्रामवार क्षेत्रफल निर्धारित करना।

1.2.3 अभी तक माइक्रोवाटरशेडवार कराये गये आस्थामूलक कार्यों की प्रगति।

1.2.4 माइक्रोवाटरशेडवार ऊपरी क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ करने की स्थिति।

12.5 ऊपरी क्षेत्र में कराये गये कार्यों की प्रगति एवं वर्षा के दौरान भ्रमण कर निर्माण कार्य के उद्देश्य पूर्ति का भौतिक सत्यापन।

1.2.6 कराये गये अन्य कार्यो की प्रगति।

1.2.7 वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास के कार्यों की प्रगति।

1.2.8 स्वाबलम्बी दलों एवं महिला बचत समूहों की गतिविधियां।

1.2.9 सम्पन्न कार्यों का ग्रामीण समाज पर प्रभाव।

1.2.10 वाटरशेड कार्यक्रम को आर्थिक स्वाबलम्बन कार्यक्रम में बदलने की दिशा में उठाये कदम।

1.3 वित्तीय प्रगति :–

सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम एवं रोजगार आश्वासन योजना के लिये अलग अलग समीक्षा की जावेगी:–

1.3.1 वित्तीय वर्ष 1995–96 में विकास खण्डवार केन्द्र एवं राज्य शासन से प्राप्त राशि।

1.3.2 वाटरशेड कार्यों हेतु आरक्षित राशि।

1.3.3 पी.आई.ए. एवं वाटरशेड समितियों को दी गयी राशि।

1.3.4 डी.आर.डी.ए., पी.आई.ए. एवं वाटरशेड समितियों द्वारा वर्ष 1995.96 के दौरान व्यय की गयी राशि।

1.3.5 वर्ष 1996–97 के प्रारंभ में विभिन्न स्तर पर अवशेष राशि।

1.3.6 वर्ष 1996–97 के दौरान अभी तक विकासखण्डवार प्राप्त राशि।

1.3.7 जुलाई 1997 तक विभिन्न स्तरों पर व्यय की गयी राशि, तथा अवशेष राशि।

1.3.8 मार्च 1997 तक विभिन्न स्तरों पर व्यय की जा सकने वाली संभावित राशि।

2. <u>चरणबद्ध कार्यक्रम</u> :–

उपरोक्तानुसार समीक्षा के पश्चात जिले में गतिविधियों को माइक्रोवाटरशेडवार पांच वर्गों में विभाजित करें।

(क) माइक्रोवाटरशेड, जहां पर जून 1996 तक ऊपरी क्षेत्र के उपचार के कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(ख) माइक्रोवाटरशेड, जहां योजना तैयार हो गयी है तथा कुछ कार्य प्रारंभ भी किये जा चुके हैं।

(ग) माइक्रोवाटरशेड, जहां योजना तैयार कर ली गयी है एवं सभी स्तर पर संगठनात्मक ढांचा तैयार है, किन्तु कार्य प्रारंभ नहीं किये जा सके हैं।

(घ) ऐसे विकासखण्ड जहां निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मिलीवाटरशेड अथवा माइक्रोवाटरशेड का चयन नहीं किया गया है।

(ड़) नये चयनित मिली एवं माइक्रोवाटरशेड।

इन पांचों स्तर के माइक्रोवाटरशेड के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम निम्नानुसार होंगे :–

2.1 <u>माइक्रोवाटरशेड जहां पर जून 1996 तक ऊपरी क्षेत्र में उपचार के कार्य पूर्ण हो चुके हैं :–</u>

ऐसे वाटरशेडों में जहां जून, 1996 तक जल एवं मृदा संरक्षण के कार्य माइक्रोवाटरशेड के ऊपरी क्षेत्रों में पूर्ण किये जा चुके हैं, द्वितीय वर्ष में लिये जाने वाले कार्यों को क्रियान्वित करने के लिये यह आवश्यक होगा कि अभी तक जो कार्य पूर्ण किये गये हैं, उसकी समीक्षा उपरान्त जो कार्य शेष बचे हों, उन्हें ध्यान में रखते हुये निम्नानुसार कार्यवाही की जावे।

2.1.1 अगस्त माह में माइक्रोवाटरशेड में किये गये कार्यों का, प्रचार प्रसार करते हुये वाटरशेड कमेटी के सदस्यों एवं ग्रामीणों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिये कम्युनिटी आर्गेनाईजेशन कार्यक्रम आयोजित किये जावें।

2.1.2 माह सितम्बर में तैयार एक्शन प्लान की पुनः समीक्षा की जावे तथा ऊपरी क्षेत्रा में किये गये कार्यों के परिणाम एवं ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार यदि योजना में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना हो तो उसे संशोधित कर लिया जावें। इसके साथ–साथ माइक्रोवाटरशेड के अंतर्गत गांवों में स्वाबलम्बी दलों के गठन एवं महिला बचत एवं साख समूह के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जावे तथा उन्हें

क्रियाशील बनाया जावे। स्थानीय स्तर पर रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने के लिये जो कार्य स्थानीय आवश्यकता के अनुसार लिये जा सकते हैं तथा जिन कार्यों एवं गतिविधियों को लेने से तैयार उत्पादकों को बाजार में लाया जा सकता हो उन्हें चिन्हित कर लिया जावे।

2.1.3 मानसून के तत्काल पश्चात् जब सहायक नालों में पानी का बहाव कम हो जाये एवं जमीन कार्य योग्य हो जाये तब उपयोगकर्ता दलों की आवश्यकता पूर्ति हेतु सहायक नालों पर जल संग्रहण के कार्य प्रारंभ कर दिये जावें। यह कार्य दिसम्बर के अन्त तक पूर्ण कर लिये जावें, परन्तु इन कार्यों को ऊपरी क्षेत्र के उपचार पूर्व प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा, मुख्य नाले/नदी पर जल संग्रह संरचनायें सहायक नालों पर संरचनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ली जावेंगी।

2.1.4 माइक्रोवाटरशेड में कार्य योजना अनुसार शासकीय भूमि पर जो वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास के कार्य आगामी मानसून के दौरान किया जाना है, उसकी तैयारी अक्टूबर माह से ही प्रारंभ कर दी जावे। इस हेतु :–

(क) सर्वप्रथम जिस क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास किया जाना है, उसकी सीमा को चिन्हांकित कर दिया जावे एवं उसके लिये आवश्यक समूहों का गठन पूर्ण किया जावे।

(ख) चूंकि इस कार्यक्रम में जनसहभागिता मुख्य बिन्दु है, अतः ग्राम सभा से एतद् संबंधी प्रस्ताव मंजूर कराया जावे कि वृक्षारोपण अथवा चारागाह विकास के लिये चयनित क्षेत्रों में ग्रामीणों द्वारा मवेशियों को नहीं भेजा जावेगा अर्थात ''सोशल फेंसिग'' के द्वारा ही क्षेत्र की सुरक्षा की जावेगी। वन विभाग द्वारा भी इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, अतः उनके अनुभवों का लाभ लिया जावे।

(ग) यदि पशु अवरोधक खेती आवश्यक हो, तो उसे इस तरह बनाया जाये कि जल संरक्षण भी संभव हो। इसके लिये इसे कंटूर की लाईन में तथा जल विभाजक रेखा पर ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाये तथा यदि पानी का निकास दिया जाना हो, वहां बोल्डर चेक बनाया जावे।

(घ) जहां वृक्षारोपण किया जाना है, वहां स्वावलम्बी/उपयोगकर्ता दलों से निर्धारित माप के गड्ढे निर्धारित दूरी पर खुदवा लिये जावे। उपरोक्त समस्त कार्य जनवरी–फरवरी के पूर्व करा लिये जावे। प्रजातियों का चयन संबंधित दल करेंगे।

(इ) इसी के साथ–साथ नर्सरी तैयारी का कार्य भी प्रारंभ करा दिया जावे। इस हेतु पूर्व में भी पौधशाला पर एक मार्गदर्शिका समस्त जिलों को दी जा चुकी है जिसमें स्वावलम्बी दलों को परिवार आधारित पौधशाला तैयार करने के लिये संक्षेप में जानकारी प्रदान की गई है। यहां यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि वृक्षारोपण हेतु जितने पौधों की आवश्यकता है, उनकी तैयारी अक्टूबर–नवंबर एवं फरवरी–मार्च में ही प्रारंभ की जाना चाहिये, क्योंकि बीजों

के अंकुरण के लिये वही समय उपयुक्त रहता है। विस्तृत जानकारी हेतु वन एवं उद्यानिकी विभागों की सहायता ली जा सकती है।

2.1.5 इसके साथ ही निजी कृषि भूमि पर जो कृषि वानिकी एवं उद्यानिकी (फलदार वृक्षारोपण) के कार्य लिये जाना है, उसकी तैयारी भी नर्सरी तैयारी के साथ–साथ फरवरी–मार्च के पूर्व पूर्ण कर ली जावे। इस संबंध में उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। फलदार वृक्षारोपण एवं कृषि वानिकी हेतु पृथक से निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं।

2.1.6 उपरोक्त 2.1.3 से 2.1.5 के कार्यों के साथ–साथ स्वावलम्बी दलों एवं महिला बचत साख समूह के कार्यों को भी प्रारंभ किया जावे, तथा मार्च 1997 तक इस कार्यक्रम पर सर्वाधिक ध्यान दिया जावे।

2.2 **<u>माइक्रोवाटरशेड जहां योजना तैयार हो गयी है तथा कुछ कार्य प्रारंभ भी किये जा चुके हैं।</u>**

2.2.1 माह अगस्त में इन माइक्रोवाटरशेड में किये गये कार्यों की समीक्षा कर, प्रथम एवं द्वितीय दोनों वर्षों के कार्य एक साथ शेष माहों में मार्च 1997 तक पूर्ण किये जाने हेतु कार्यक्रम तय किया जावे, जिससे इन माइक्रोवाटरशेड का भी उपचार 2.1 के अनुसार सम्पन्न किया जा सके, तथा मार्च 1997 तक दोनों एक ही स्तर पर आ जायें।

2.2.2 इस हेतु मानसून के तत्काल पश्चात ऊपरी क्षेत्रों में कंटूर ट्रेंच, कटूर बंडिंग, गली प्लगिंग, बोल्डर चेक इत्यादि के कार्य प्रारंभ कर दिये जावें तथा नवम्बर–दिसम्बर माह के पूर्व ऊपरी क्षेत्रों में उपचार कार्य पूर्ण कर लिये जावे।

2.2.3 ऊपरी क्षेत्रों में उपचार कार्य के साथ–साथ क्रमांक 2.1 के अनुसार वर्णित कार्यों को मार्च 1997 तक पूर्ण कर लिया जावे। माहवार जो कार्य सम्पादित किये जा सकते हैं, उनकी योजना तैयार कर ली जावे एवं आवश्यक लक्ष्य तय कर लिये जावें।

2.2.4 इस हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि समस्त परियाजना अधिकारियों को इस संबंध में प्रथम समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देशित कर दिया जावे कि आने वाले माहों में क्या–क्या कार्य किये जाना है। तदानुसार ही तैयारी प्रारंभ की जावे।

2.3 **<u>माइक्रोवाटरशेड, जहां योजना तैयार कर ली गयी है एवं सभी स्तर पर संगठनात्मक ढांचा तैयार है, किन्तु कार्य प्रारंभ नहीं किये जा सके हैं।</u>**

2.3.1 गतिविधियों के तृतीय वर्ग में जो माइक्रोवाटरशेड आते हैं, उनमें संगठनात्मक ढांचे विशेषकर ग्राम स्तरीय वाटरशेड कमेटी की समीक्षा कर, यदि कोई कमी/त्रुटि हो तो उसे सर्वप्रथम पूर्ण/ठीक कर लिया जावे।

2.3.2 इन माइक्रोवाटरशेड में मानसून के उपरांत अक्टूबर माह में ऊपरी क्षेत्र के उपचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जावे। ये उपचार कार्य गठित दल की आवश्यकता के आधार पर संपन्न किये जावेंगे।

2.3.3 जहां तक आस्था मूलक कार्यों का प्रश्न है, ये कार्य बाद में भी कराये जा सकते हैं। आस्था मूलक कार्य समाप्त करने के पश्चात ही अन्य कार्य कराये जावें, ऐसी इस कार्यक्रम की भावना नहीं है। आस्था मूलक कार्य, पी.आई.ए. को ग्रामीण समाज से

जोड़ने का एक माध्यम मात्र है। अतः आस्था मूलक कार्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन ग्राम सभा से करावें तथा न्यूनतम 25 प्रतिशत लागत के तुल्य श्रमदान/सामग्री समाज से प्राप्त करने का प्रयास किया जावे। यह कंडिका सभी वर्गों पर समान रूप से लागू करने का प्रयत्न करें।

2.3.4 इन माइक्रोवाटरशेड में मार्च 1997 तक कम से कम ऊपरी क्षेत्र के उपचार का कार्य पूर्ण कर लिया जावे, तथा जून 1997 तक 2.2 अनुसार अन्य कार्य भी समाप्त कर लिये जावें।

2.4 **<u>ऐसे विकासखण्ड जहां पर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मिली वाटरशेड अथवा माइक्रोवाटरशेड का चयन नहीं किया गया है :–</u>**

2.4.1 कार्यक्रम के प्रारंभ में तथा आदेश क्रमांक 4 दिनांक 8.11.95 द्वारा समस्त जिलों को रोजगार आश्वासन योजना एवं डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत माइक्रोवाटरशेड की संख्या एवं क्षेत्रफल के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। किन्तु कुछ जिलों में अभी तक निर्धारित लक्ष्य अनुसार मिलीवाटरशेड/माइक्रोवाटरशेड एवं रकबे का चयन नहीं किया गया है।

2.4.2 ऐसी स्थिति में संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा उपरांत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शेष मिली वाटरशेड/माइक्रोवाटरशेड एवं रकबे के चयन का कार्य अक्टूबर 1995 तक पूर्ण कर लिया जावे।

2.4.3 नये चयनित मिलीवाटरशेड/माइक्रोवाटरशेड में संगठनात्मक ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया दिसम्बर 1997 तक पूर्ण कर ली जावे।

2.4.4 प्रशिक्षण एवं कम्यूनिटी आर्गेनाइजेशन के कार्य करायें जावें तथा एक्शन प्लान को अंतिम रूप प्रदान किया जावे।

2.4.5 उपरोक्त समस्त कार्य माह जनवरी 1997 के पूर्व समाप्त कर लिये जावें।

2.4.6 मार्च 1997 के पूर्व ऊपरी क्षेत्रों में उपचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जावे।

2.4.7 जून 1997 के पूर्व ऊपरी क्षेत्र में उपचार का कार्य पूर्ण करा लिया जावे, तथा 2.1 अनुसार शेष कार्य भी प्रारंभ कर दिये जावें।

2.5 **<u>नये चयनित मिली एवं माइक्रोवाटरशेड :–</u>**

2.5.1 वर्ष 1996–97 हेतु नये मिली वाटरशेड एवं माइक्रोवाटरशेड का चयन मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञाप क्र. 14750/508/22/वि–9/96 भोपाल दिनांक 30.8.96 में वर्णित निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। यह चयन वर्ष 1995–96 में किये चयन से भिन्न है तथा इस चयन के उपरान्त जिले में उपचारित क्षेत्रा का रकवा बढ़ जावेगा।

2.5.2 नये क्षेत्रों में मिली वाटरशेड एवं माइक्रोवाटरशेड के चयन का कार्य माह सितम्बर 1996 के पहले पूर्ण कर लिया जावे।

2.5.3 नये क्षेत्रों में स्वावलम्बन एवं उपयोगकर्ता दलों के आधार पर संगठनात्मक ढांचा

तैयार करने एवं उसे ग्राम सभा से अनुमोदित कराने का कार्य नवम्बर 1995 के पूर्व पूर्ण कर लिया जावे।

2.5.4 नये क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं कम्यूनिटी आर्गेनाइजेशन का कार्य जनवरी 1997 के पूर्व पूर्ण कर लिया जावे।

2.5.5 पी.आर.ए. एक्सरसाइज आधारित एक्शन प्लान से संबंधित प्राक्कलन ड्राइंग इत्यादि फरवरी 1997 के पूर्व तैयार करा लिये जावें।

2.5.6 आस्थामूलक कार्य के साथ–साथ ऊपरी क्षेत्रों में उपचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जावे तथा जून 1997 के पूर्व जल एवं मृदा संरक्षण के समस्त कार्य पूर्ण करा लिये जावें। कार्य कराते समय रिज से वेली की अवधारणा का पालन किया जाना कृपया सुनिश्चित कराया जावे।

3. समीक्षा प्रतिवेदन :–

प्रदेश एवं जिला स्तर पर वाटरशेड कार्यों की मासिक समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। आदेश क्रमांक–6 में मासिक रिपोर्ट एवं लेखा संधारण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। इन रिपोर्ट एवं लेखा को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है, उसके पश्चात ही भारत शासन की वाटरशेड गाईडलाइन्स के अनुसार मासिक रिपोर्ट तैयार की जाना संभव होगी। अंतरिम व्यवस्था के लिये परिशिष्ट–1ए 2 एवं 3 में समीक्षा हेतु प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। फिलहाल इन प्रपत्रों को भरकर भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसके लिये निम्नानुसार वर्णित प्रक्रिया अपनाई जावे।

3.1 <u>विकासखण्ड स्तर पर समीक्षा :–</u>

मिली वाटरशेड स्तर पर प्रतिवेदित माह की 25 तारीख को परियोजना अधिकारी, मिली वाटरशेड द्वारा ग्राम स्तरीय वाटरशेड कमेटी के अध्यक्षों एवं सचिवों की समीक्षा बैठक आयोजित कर संलग्न निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी एकत्रित की जावेगी।

3.2 <u>जिला स्तर पर समीक्षा :–</u>

जिला स्तर पर प्रतिवेदित माह की 28 तारीख को परियोजना अधिकारियों की समीक्षा बैठक, कार्यपालन निदेशक द्वारा ली जाकर निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी एकत्र की जावेगी।

3.3 <u>संभाग स्तर पर समीक्षा :–</u>

संभाग स्तर पर प्रत्येक माह की 1 एवं 2 तारीख को उपायुक्त (विकास) द्वारा बैठक आयोजित की जावेगी, जिसमें राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन की जानकारी निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त कर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से विकास आयुक्त को उपलब्ध कराई जावेगी।

3.4 यह व्यवस्था विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 6494/22/वि–7/ज.से.यो./96 दिनांक 27.3.1996 के अनुरूप है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करावें तथा समय–समय पर ली गई समीक्षा बैठकों से विकास आयुक्त एवं संचालक को अवगत करावें।